न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
2/161/2013	07.08.2013	01.07.2022

बउनवान

1. रोशन शाह पुत्र श्री मुरादशाह जाति फकीर निवासी ग्राम वहादरपुर पटटी मीरान तहसील व जिला अलवर राज० –

वादी

वनाम

1. श्रीमति बिमलादेवी पत्नी ठाकर दास जाति खत्री निवासी वहादरपुर पटटी मीरान तहसील व जिला अलवर राज०
2. शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा वहादरपुर जिला अलवर
3. राज० राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार अलवर

प्रतिवादीगण/ गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राज0 काश्त0 अधि0

निर्णय

वकीलवादी ने मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र 212 राज0 काश्त0 अधि0 पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा साबिक आराजी खसरा नम्बर 729 मिन रकबा 2 बिस्वा 821 मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम बहादरपुर पटटी मीरान को खातेदार चेताबाई वेवाह हरसूमल से वादी व आसीन खां द्वारा खरीद की गई थी। उक्त आराजी खरीद के उपरान्त आसीन द्वारा अपना हिस्सा मिन वादी को विक्रय कर दिया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा नम्बर 821 मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1221 का इन्तकाल मिन वादी के नाम पर दर्ज हो गया लेकिन सहवन से आराजी खसरा नम्बर 729 मिन रकबा 2 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1089 का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया। प्रतिवादी का उक्त आराजी से कोई सरोकार नही है। उक्त आराजी की वावत् समस्त खातेदार आदि का अधिकारात वादी का आयद है। इस गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादी विवादित आराजी को वेचान करने की फिराक में है यदि प्रतिवादी ने विवादित आराजी का वेचान कर दिया तो प्रार्थी को अजहद हानि होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 को पावन्द फरमाया जावें कि प्रार्थी की उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 1089 के गलत इन्द्राज की आड में रहन वय ना करें एवं प्रतिवादी संख्या 2 को पावन्द किया जावें कि गलत इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी के खाता में दर्ज हाल खसरा नम्बर 1089 को रहन से मुक्त करें। मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी कर जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी ने
। प्रस्तुत किया कि आराजी गत खसरा नम्बर 729 मिन रकबा 2 बिस्वा हाल खसरा नम्बर
रकबा 0.03 वाके ग्राम बहादरपुर पटटी मीरान से प्रार्थी का कोई लेना देना नही है। उक्त
भी की अप्रार्थी अभिलिखित काश्तकार है और मौके पर वर्तमान में काबिज चली आ रही है।
ा कर्मचारियान द्वारा मिन अप्रार्थी के नाम का अंकन साबिक राजस्व रिकार्ड एवं मौके के
ार हाल राजस्व रिकार्ड में किया है। गत आराजी खसरा नम्बर 729 मिन रकबा 2 बिस्वा व
मिन रकबा 6 बिस्वा की अभिलिखित खातेदार काश्तकार मु. चेतीदेवी बेवा हस्सूमल सिन्धी
जिसने उक्त आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 09.09.1991 को आसीन खां
लीला खां कौम फकीर को 1/2 भाग व प्रार्थी रोशन शाह पुत्र मुराद शाह को 1/2 भाग का
कर दिया और बयनामा पंजीकृत करवा दिया। जिस बयनामा के आधार पर इन्तकाल बय
ा 51 वादी व असीन खां के हक में दर्ज व तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल कर
। गया। गत खसरा नम्बर 729 मिन रकबा 2 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 1089/2200
म किया गया है। जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आसीन खां के नाम अंकन हो रहा है।
के नाम का अंकन नही है। लेकिन वादी ने समस्त तथ्य छिपाते हुए मिन अप्रार्थी के खिलाफ
। दायर किया है। जबकि विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार आसीन खां के खिलाफ
। पेश करना चाहिए था। वादी का वाद खारिज फरमाये जाने योग्य है। वादी को उक्त आराजी
बारें में कोई राईट, टाईटल व इन्टरेस्ट पैदा नही होता है। वादी का वाद खारिज फरमाया
।।

उभयपक्ष की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र 212 राज0 त0 अधि0 के निर्णय से पूर्व 3 बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति क्षति गौर करना होता है।

1. **प्रथम द्रष्टया केसः–** आया सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर गौर कर यह देखना होता है,कि प्रार्थी का प्रथम द्रष्टया केस बनना पाया जाता है अथवा नही। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2067–2070 ग्राम बहादरपुर पटटी मीरान खसरा नम्बर 1089 पर अप्रार्थीगण की खातेदारी का अंकन है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात मिलान क्षेत्रफल संवत 2051–70 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 729 मिन से हाल नम्बर 1088, 1089 कायम किये गये। खसरा नम्बर 1088 प्रार्थी एवं खसरा 1089 पर अप्रार्थी खातेदार है। जब प्रार्थीगण का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा ही नही है। उस स्थिति में प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है,कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1089 को अपनी खरीदशुदा आराजी बताया है। प्रार्थी ने साबिक खसरा नम्बर 729 मिन एवं 821 मिन जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय करना बताया है। साबिक खसरा नम्बर 729 मिन से हाल खसरा नम्बर 1088, 1089 एवं 821 मिन से हाल खसरा नम्बर 1221 बने है। प्रार्थी साबिक खसरा नम्बर 729 मिन रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1088 रकबा 0.30 है0 का दर्ज रिकार्ड है तथा साबिक खसरा 729 मिन रकबा 2 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.03 है0 पर अप्रार्थी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे अनुतोष के संबंध में प्रस्तुत रिकार्ड का मिलान नही होता है। हाल खसरा नम्बर 1089 अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा मौके पर नही है। उस स्थिति में प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण अपने

उपखण्ड अधिकारी

हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज है। प्रथम द्रष्टया केस प्रार्थी के हक में साबित नही पाया जाता है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही पाया जाता है।

नापूर्ति क्षतिः– पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रथम द्रष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में साबित नही होते है। नापूर्ति होने वाली क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होती है। इस प्रकार तीनो बिन्दु प्रार्थी के हक में साबित नही होने पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त.अधि. पर इस न्यायालय के पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 05.08.2013 बाबत् विवादित आराजी खसरा नं. 1089 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम बहादरपुर पटटी मीरान तह0 व जिला अलवर रिकार्ड से सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

य आज दिनांक 01.07.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर